न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :आजमगढ़ , जनपद :आजमगढ़ , तहसील :सदर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202115060106855
वाद संख्या:- 6855/2021
डा0 रामनरायन राय फाउण्डेशन प्र0 अभिषेक कुमार राय बनाम सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 05/10/2021

मौजा-भोर्रामकबूलपुर, परगना-निजामाबाद, तहसील-सदर, आजमगढ़।

निर्णय

प्रस्तुत वाद डा0 रामनरायन राय फाउंडेशन प्रबंधक अभिषेक कुमार राय पुत्र अशोक राय सा0 जोल्हापुर, तहसील-सगड़ी, आजमगढ़ द्वारा मौजा-भोर्रामकबूलपुर, परगना-निजामाबाद, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ के गाटा संख्या-87/1 रकबा 2.917 हे0 में से 0.815 हे0 भूमि को गैर-कृषिक भूमि घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है। वादी द्वारा अपने साक्ष्य के रूप में मौजा-भोर्रामकबूलपुर की उद्धरण खतौनी, शपथ-पत्र सहखातेदार एवं उक्त भूमि का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया जो संलग्न है। तहसीलदार सदर द्वारा प्रपत्र 25(क) के भाग 1(ख), 2(ख), 3(ख) एवं 4(ख) में अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गयी हैं। तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 24.09.2021 में उल्लिखित है कि वादी डा0 रामनरायन फाउंडेशन का नाम गाटा संख्या-87/1/2.917 हे0 में बतौर सह संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि में वादी द्वारा 0.815 हे0 भूमि का गैर कृषिक प्रयोग किया जा रहा है। यह आराजी सीलिंग, पट्टा व सरकारी भूमि नहीं है। उक्त आराजी कृषि कार्य में उपयोग न किये जाने के कारण अकृषिक लगानमुक्त घोषित किए जाने योग्य है। उ0प्र0 के किसी भी राजस्व न्यायालय में किसी धारा में कोई वाद विचाराधीन नही है। प्रस्तावित गाटा के सन्दर्भ में धारा 133 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित नही हुआ था। प्रश्नगत गाटा किसी महायोजना मे प्रस्तावित नहीं है। उक्त भूमि को अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या तहसीलदार सदर द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

तहसीलदार सदर की आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर दिनांक 24.09.2021 प्राप्त होने के उपरान्त मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या-87/1 रकबा 2.917 हे0 में से 0.815 हे0 भूमि कृषि या उससे संबंधित प्रयोजनो में प्रयुक्त नहीं की जा रही हैं बल्कि गैर कृषिक प्रयोजन में उपयोग किया जा रहा है। तहसीलदार सदर द्वारा सर्किल रेट के अनुसार आगणित 01 प्रतिशत मु0 40705/-(चालीस हजार सात सौ पाँच रूपये मात्र) उद्घोषणा शुक्ल ट्रेजरी चालान से व मु0-40705/-(चालीस हजार सात सौ पाँच रूपये मात्र) का न्याय शुल्क का गैर न्यायिक स्टाम्प स्टाम्प वादी द्वारा अदा किया गया है, जो पत्रावली मे संलग्न है। तहसीलदार सदर की आख्यानुसार अपेक्षित विधिक शर्ते पूर्ण हो रही है। ऐसी दशा में आराजी नेजाई को अकृषिक एवं भू-राजस्व रहित भूमि घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 24.09.2021 के आधार पर मौजा-भोर्रामकबूलपुर के गाटा संख्या-87/1/2.907 हे0 में से 0.815 हे0 भूमि जो डा0 रामनरायन राय फाउंडेशन प्रबंधक अभिषेक कुमार राय पुत्र अशोक राय सा0 जोल्हापुर, तहसील-सगड़ी, आजमगढ़ के नाम अंकित है, को अकृषिक (वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु) एवं भू-राजस्व रहित भूमि घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार मे दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक-05.10..2021

(वागीश कुमार शुक्ल)
उपजिलाधिकारी,
सदर, आजमगढ़।

यह आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया जाता है।

(वागीश कुमार शुक्ल)
उपजिलाधिकारी,
सदर, आजमगढ़।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"